भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1525
31.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

बड़े पैमाने पर आईसीई वाहनों के उपयोग के आर्थिक और ऊर्जा संबंधी निहितार्थ

1525 **श्री कॉन्स्टैंडीन रविंद्रन:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार उन अध्ययनों से अवगत है जो यह दर्शाते हैं कि इन्टर्नल कम्बस्चन इंजन (आईसीई) वाहनों पर निरंतर निर्भरता से देश में कच्चे तेल के आयात, विदेशी मुद्रा बहिर्वाह तथा ऊर्जा असुरक्षा में वृद्धि होती है;
(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर आईसीई वाहनों के उपयोग के आर्थिक और ऊर्जा संबंधी निहितार्थों के बारे में सरकार के आकलन का ब्यौरा क्या है;
(ग) इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने की गति में तेजी लाने हेतु वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन के अधिक उपयोग के माध्यम से पेट्रोलियम खपत में संभावित कमी का मूल्यांकन किया है; और
(ङ) सरकार द्वारा देशभर में स्वच्छतर तथा और अधिक ऊर्जा-कुशल आवाजाही प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु कौन-सी पहल की जानी प्रस्तावित हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): जी हाँ। सरकार इस तथ्य से अवगत है कि परंपरागत आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) आधारित वाहनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण देश में कच्चे तेल के आयात, विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन तथा ऊर्जा असुरक्षा में वृद्धि होती है। विभिन्न सतत मूल्यांकनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अंतरण बृहत-आर्थिक संवेदनशीलताओं को कम करने, कार्बन फुटप्रिंटस में कमी लाने तथा शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है।

(ग) और (ङ): देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के तीव्र अंगीकरण के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) **भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम चरण-II:** सरकार द्वारा इस स्कीम का कार्यान्वयन 01.04.2019 से 31.03.2024 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए ₹11,500 करोड़ के कुल बजटीय प्रावधान के साथ किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन तथा ई-बसों और इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान किया गया। फेम इंडिया स्कीम -चरण-II के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया सहित लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 5,197 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) तैनात की जा चुकी हैं। साथ ही, देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए योजना के अंतर्गत ₹912.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई।

(ii) **भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** सरकार ने 23 सितंबर 2021 को भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ईवी सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को अधिसूचित किया ।

(iii) **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने 09.06.2021 को देश में को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य एसीसी बैटरी के 50 गीगा वाट घंटा के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(iv) **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम:** ₹10,900 करोड़ के परिव्यय वाली इस स्कीम की अधिसूचना 29.09.2024 को जारी की गई। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस तथा ई-एम्बुलेंस सहित लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की स्थापना तथा परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन के लिए भी अनुदान उपलब्ध है। स्कीम के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए ₹4,391 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से 13,800 ई-बसें चार मिलियन (40 लाख) से अधिक जनसंख्या वाले सात शहरों नामत: दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे तथा सूरत को आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए 200 ई-

बसों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही, अखिल भारतीय स्तर पर ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किये गए है।

(v) **पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम** : 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा चूक के मामले में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(vi) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) को भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश करना और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% डीवीए और पांचवें वर्ष के अंत में 50% का डीवीए प्राप्त करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं :-

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों तथा इलेक्टिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

(ii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी चालित वाहनों को हरे रंग की पंजीकरण नंबर प्लेट प्रदान की जाएगी तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

(iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को ईवी पर सड़क कर में छूट प्रदान करने के संबंध में परामर्श जारी किया है, जिससे ईवी की प्रारंभिक खरीद लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

(घ): जैसे-जैसे ईवी की पैठ बढ़ती है, वैसे-वैसे पेट्रोल और डीज़ल की मांग में कमी आती है, जिससे इन वाहनों के परिचालन जीवनकल के दौरान कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित होती है।

****